रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.) 128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32 नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1989/श्रावण 21, 1911

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1989/SRAVANA 21, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1989

सा.का.नि. 578.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख, गृह मंत्रालय के कम्प्यूटर और पद्धति प्रभाग में उपनिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (राष्ट्रीय अपराध और पद्धति प्रभाग) उपनिदेशक भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

SCHEDULE IV

[See rules 2(f) and 7(4)]

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to various grades of the Indian Information Service Group 'B'.

1. Senior Grade (Rs. 2000-3500) (476 posts)

Direct recruitment shall be made by selection by the Commission in the manner stated below :

Age Limit :

Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).

Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Eduational Qualifications and Experience Etc. for direct recruitment.

Essential :

(i) Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) Diploma in Journalism from a recognised Univesity/Institution or equivalent.

(iii) 3 years experience of journalistic, publicity or publication work in a Government department or any Newspaper/Newsagency.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretions of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.

2. Junior Grade (Rs. 1400-2600) (251 Posts)

Age Limit :

Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applictions from candidates in India (other than those in the Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational Qualifications and Experience etc. for Direct recruitment.

Essential :

(i) Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) Diploma in Journalism from a recognised University/Institution or equivalent.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Schedule Tribes if, at any stage of selection, the Commission is of the opinon that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

Experience of Journalistic, publicity or public relation work in a Government department or any Newspaper/News Agency.

[No. A-42011/1/84-CIS]

S.D. KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 604 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1964 की अनुसूची में, ज्येष्ठ बढ़ई के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 20 के सामने,-

(i) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

"1320-30-1560-द. रो. 40-2040 रुपए;

(ii) स्तंभ 6 के नीचे की प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(iii) स्तंभ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"75 प्रतिशत"

(iv) स्तंभ 13 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"बढ़ई की श्रेणी में से जिन्होंने क्षेत्रीय आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।"

पाद टिप्पण : आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 सा. का. नि. 1776 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 30-11-64 को प्रकाशित हुए थे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारत सरकार की सूचना सं. 3109/82/बी(बी), तारीख 4-5-1983 के अधीन संशोधन किया गया।

[सं. एफ. 47011/8/89-सी(एस) सेल बी(बी)]

पी. एम. राजू, अवर सचिव

New Delhi, the 21st July, 1989

G.S.R. 604.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 against serial number 20 relating to the post of Senior Carpenter :

(i) for the entry under Column 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040."

(ii) the entry under Column 6 shall be omitted.

(iii) for the entry in Column 7, the following entry shall be inserted namely :—

"75 per cent ;"

(iv) for the entry under Column 13, the following entry shall be substituted, namely :—

"From the grade of Carpenter with 3 years service in the grade on zonal basis."

Footnote.—The All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were published in the Gazette of India under GSR 1776 on 30-11-64, and amended under Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 310/9/82-B(D) dated 4-5-1983.

[No. H-47011/8/89-D(S) Cell B(D)]
P. M. RAJU, Under Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1989

सा.का.नि. 605 :—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप दिनांक 6 अगस्त, 1988 को भारत के राजपत्र के भाग-II; खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 2378-2380 पर दिनांक 29 जून, 1988 के भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय सा. का. नि. 634 की अधिसूचना के साथ प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे :—

उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 अगस्त, 1988 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ।

प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम 1937 का और संशोधन करती है, अर्थात :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 1989 है;

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 के नियम 48 में,

(1) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :

(1) अनुज्ञप्तियां और रेटिंग के जारी करने नवीकरण, विधिमान्यकरण या पुनर्विधिमान्यकरण अथवा अनुज्ञप्तियों की दूसरी प्रति जारी करने और ऐसे अनुज्ञप्तियों और रेटिंगों के लिए परीक्षणों और परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित फीस का संदाय किया जाएगा :

क्रम सं०	अनुज्ञप्ति या रेटिंग का वर्णन	तकनीकी परीक्षा (भूमि विषयक विषयों) के लिए फीस	तकनीकी परीक्षा (ए और ई) के लिए फीस	अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने, उनके विधिमान्यकरण, नवीकरण या पुनर्विधिमान्यकरण तथा उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस
1.	2.	3.	4.	5.
		रुपए	रुपए	रुपए
1.	छात्र पाइलेट अनुज्ञप्ति	50	—	25
2.	प्राइवेट पाइलेट अनुज्ञप्ति	50	25	40
3.	वाणिज्यिक पाइलेट अनुज्ञप्ति	150	50	100
4.	ज्येष्ठ वाणिज्यिक पाइलेट अनुज्ञप्ति	200	100	200
5.	विमान सेवा परिवहन पाइलेट अनुज्ञप्ति	200	100	200
6.	उपकरण रेटिंग (6/8 डब्ल्यू. पी एम पर संकेत)	100	—	50
7.	सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग	100	—	50
8.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग	100	—	100
9.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग (ग्लाइडर)	75	25	50
10.	प्रत्येक प्रकार की वायुयान रेटिंग का विस्तारण	—	50	50
11.	ग्लाइडर पाइलेट अनुज्ञप्ति	50	—	50
12.	छात्र उड़ान नेविगेटर अनुज्ञप्ति	250	—	50
13.	उड़ान नेविगेटर अनुज्ञप्ति	250	—	100
14.	छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति	—	300	100
15.	उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति	—	300	200
16.	उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक अनुज्ञप्ति (अनन्तिम)	100	—	100
17.	उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक अनुज्ञप्ति	100	—	100
18.	उड़ान रेडियो प्रचालक अनुज्ञप्ति (अनन्तिम)	200	—	50
19.	उड़ान रेडियो प्रचालक अनुज्ञप्ति	200	—	100
20.	माइक्रोलाइट वायुयान पाइलेट अनुज्ञप्ति	50	—	50

(II) उप नियम (2) में, "10" अंकों के स्थान पर "30" अंक रखे जाएंगे।

[एफ. सं. एवी. 11012/9/87-ए]
आर. एन. भार्गव, अवर सचिव